आदेश	कार्यवाही विवरण
10/5/2022	प्रार्थी द्वारा वकील के माध्यम से आवेदन 3, 10 नं. 12 के अन्तर्गत तामील नहीं। अतः बिना एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 16/6/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
16/6/2022	प्रार्थी द्वारा वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 23/6/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
23/6/2022	प्रार्थी द्वारा खुलासा पत्र प्रार्थना पत्र के संबंधित मूल पाटे का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर मूल पाटे के निस्तारण के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खुलासे के साथ पत्रावली में संलग्न है। 23/6/22 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested